

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 291-अ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 8 अगस्त 2018 — श्रावण 17, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2018

क्रमांक 8009/डी. 150/21-अ/प्रारू. /छ. ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-07-2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 16 सन् 2018)

**छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन)
(संशोधन) अधिनियम, 2018**

**छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006
(क्र. 25 सन् 2006) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम .**

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में उत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा 49 एवं 50 का 2. छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 (क्र. 25 सन् 2006) में धारा 49 एवं 50 में जहां कहीं भी शब्द “शुल्क” आया हो के स्थान पर क्रमशः शब्द “शिक्षण शुल्क” प्रतिस्थापित किया जाये।

नया रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2018

क्रमांक 8009/डी. 150/21-अ/प्रारू. /छ. ग./18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08-08-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एनदब्ल्यूए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव।

CHHATTISGARH ACT
(No. 16 of 2018)

**THE CHHATTISGARH NON-GOVERNMENT COLLEGES AND INSTITUTIONS IN
 HIGHER EDUCATION (ESTABLISHMENT AND REGULATION) (AMENDMENT)
 ACT, 2018**

An Act further to amend the Chhattisgarh Non-Government Colleges and Institutions in Higher Education (Establishment and Regulation) Act, 2006 (No. 25 of 2006).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows :-

- | | | Short extent and commencement. |
|----|--|---------------------------------|
| 1. | (1) This Act may be called the Chhattisgarh Non-Government Colleges and Institutions in Higher Education (Establishment and Regulation) (Amendment) Act, 2018.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | Amendment of Section 49 and 50. |
| 2. | In the Chhattisgarh Non-Government Colleges and Institutions in Higher Education (Establishment and Regulation) Act, 2006 (No. 25 of 2006), in Section 49 and 50 respectively, for the word “Fees”, wherever it occurs, the words “Tuition Fees” shall be substituted. | |